श्री बालामुरूगन डी०,भा०प्र०से०, जिलाधिकारी, जहानाबाद के द्वारा दिनांक 19-11-2011 को बाल विकास परियोजना कार्यालय, रतनी फरीदपुर का किये गये निरीक्षण का निरीक्षण टिप्पणी :

1. परिचय :- बाल विकास परियोजना रतनी फरीदपुर वर्ष 2006-07 में स्वीकृत की गई। बाल विकास परियोजना कुर्था, जिला अरवल से 123 आंगनबाड़ी केन्द्रों का स्थानांतरण कर बाल विकास परियोजना रतनी फरीदपुर संचालित की गई। यह ग्रामीण परियोजना है। जिला मुख्यालय से पश्चिम 11 कि0मी0 की दूरी पर शकुराबाद बाजार में यह कार्यालय श्रीकांत वर्मा, शकुराबाद के मकान में किराया पर संचालित है। इस परियोजना में कुल 123 केन्द्र हैं।

2. पूर्व का निरीक्षण :- बाल विकास परियोजना कार्यालय, रतनी फरीदपुर का अब तक किन-किन वरीय पदाधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया है, इसकी सूची तैयार करने का निदेश बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर को दिया गया।

(अनुपालन :बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

3. पदाधिकारी का स्थापना :-

क्र.	पदाधिकारी का नाम	पद	पदस्थापन अवधि
1	श्रीमती सीमा कुमारी	बाल विकास परियोजना पदा0	02.03.2007-30.09.2007
2	श्री रमेश कुमार ओझा	बाल विकास परियोजना पदा0	30.09.2007-19.05.2008
3	श्रीमती हीरा कुमारी सिंह	बाल विकास परियोजना पदा0	02.05.2008-31.07.2011
4	डॉ0 स्नेहलता कुमारी	बाल विकास परियोजना पदा0	31.07.2011 से आज तक

4. परियोजना में स्वीकृत एवं कार्यरत पदों की स्थिति :

क्र.	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी	01	01	0
2	सांख्यिकी सहायक	01	0	01
3	महिला पर्यवेक्षिका	05	04	01
4	लिपिक सह टंकक	01	01	0
5	अनुसेवक	01	01	0

5. पदस्थापित कर्मचारी की स्थिति :-

क्र.	नाम	पदनाम	किस तिथि से कार्यरत
1	श्री रविन्द्र प्रसाद	लिपिक	24.07.2010
2	श्री इन्द्रदेव सिंह	अनुसेवक	01.10.2009
3	श्रीमती मंजू कुमारी	महिला पर्यवेक्षिका	13.07.2007
4	सुश्री रानी सुधा कुमारी	महिला पर्यवेक्षिका	14.07.2011
5	सुश्री प्रभा कुमारी	महिला पर्यवेक्षिका	14.07.2011
6	श्रीमती पुष्पा कुमारी	महिला पर्यवेक्षिका	13.07.2011
7	श्री पिंटु कुमार	डॉटा ऑपरेटर	16.08.2011

सेविका एवं सहायिका की स्थिति :-

क्र.	पदनाम	स्वीकृत	चयनित	कार्यरत	रिक्त	अभ्युक्ति
1	सेविका	123	118	117	5	1. पाँच पद पर चयन हेतु मैपिंग पंजी तैयार किया जा रहा है। 2. मछारा आंगनबाड़ी केन्द्र विवादास्पद है। केस संख्या 9/डी0एम0/2011 अनिता कुमारी बनाम राज्य सरकार के संबंध में केस चल रहा है।
2	सहायिका	123	121	116	2	1. चार सहायिका केन्द्र कार्यरत नहीं होने के कारण कार्यरत नहीं है। 2. दो सहायिका अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर को निदेश दिया गया कि रिक्त पदों पर अविलम्ब सेविका का चयन करने की कार्रवाई करें तथा दो सहायिका अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं, उन्हें चयनमुक्त करने की कार्रवाई करें।

(अनुपालन :बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

6. **सेवापुस्त** :- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी के द्वारा बताया गया कि इस परियोजना में श्री रविन्द्र प्रसाद, लिपिक एवं श्री इन्द्रदेव सिंह, अनुसेवक का सेवापुस्त पूर्व पदस्थापित स्थान से नहीं भेजा गया है। सेवापुस्त पूर्व पदस्थापित स्थान से लाने का निदेश संबंधित कर्मचारी को दिया गया है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब इनका सेवापुस्त मंगाकर अद्यतन करना सुनिश्चित करेंगी।

(अनुपालन :बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

7. **आगत पंजी** :- आगत पंजी संधारित है एवं अद्यतन है। पत्र को कहाँ रखा जा रहै, उसमें संचिका संख्या लिखा गया है।

8. **निर्गत पंजी** :- निर्गत पंजी संधारित है एवं अद्यतन है। पत्र को कहाँ रखा गया है, उसमें संबंधित संचिका संख्या दर्ज किया गया है।

9. **सूचना का अधिकार का पंजी** :- सूचना का अधिकार पंजी संधारित है। कोई मामला लंबित नहीं है।

10. **जन शिकायत मामलों से संबंधित पंजी** :- संधारित है एवं अद्यतन है।

11. **कर्मपुस्तिका** :- श्री रविन्द्र कुमार, लिपिक का कर्मपुस्तिका संधारित है, परन्तु उसमें 17.02.2011 के बाद से लिखा नहीं गया है। श्री रविन्द्र कुमार, लिपिक से इस संबंध में पूछे जाने पर बताया गया कि समय नहीं मिलने के कारण इसका अद्यतन नहीं किया गया है। इनका तर्क बिल्कुल ही स्वीकार्ययोग्य नहीं है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी के द्वारा बताया गया कि इनका कार्य संतोषजनक नहीं है, इनके द्वारा कार्य नहीं किया जाता है। इसे अद्यतन करने का निदेश लिपिक को दिया गया। साथ ही बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर को निदेश दिया गया कि कर्मपुस्तिका अद्यतन नहीं रखने के लिए इनसे स्पष्टीकरण की मांग कर अपने मंतव्य के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगी।

(अनुपालन :बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

12. **अवकाश पंजी** :- अवकाश पंजी दिनांक 14.11.2011 तक संधारित है।

अनुक्रमणी पंजी :- अनुक्रमणी पंजी संधारित है, परन्तु वह विहित प्रपत्र में नहीं है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी को निदेश दिया गया कि जिला मुख्यालय से अनुक्रमणी पंजी के लिए निर्धारित विहित प्रपत्र प्राप्त कर उसमें अनुक्रमणी पंजी संधारित करना सुनिश्चित करेंगी।

(अनुपालन :बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

14. **जीप :-** इस कार्यलय में सरकारी जीप आवंटित नहीं है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी के द्वारा बताया गया कि वाहन भाड़ा पर उपयोग में लाई जाती है। प्रतिमाह 13050/- रूपये पर चालक सहित वाहन संख्या बी.आर-25 ए/2111 बोलेरो उपयोग में लायी जा रही है।

15. **वाहन लॉग बुक :-** वाहन लॉग बुक संधारित एवं अद्यतन है।

16. **महिला मंडल की बैठक :** बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर को निदेश दिया जाता है कि महिला मंडल की बैठक निश्चित रूप से आयोजित करना सुनिश्चित करेंगी।

(अनुपालन :बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

17. **एस.एम.एस. :-** एस.एम.एस. के संबंध में पूछे जाने पर बताया गया कि प्रतिदिन एस.एम.एस. किया जा रहा है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि विभागीय निदेश के अनुसार अब केन्द्र कोड के साथ-साथ बच्चों की उपस्थिति भी एस.एम.एस. किया जाना है, इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगी।

(अनुपालन :बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

18. **महिला पर्यवेक्षिका बैठक :-** महिला पर्यवेक्षिकाओं के द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा के लिए मासिक बैठक किये जाने के संबंध में पूछे जाने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि बैठक नहीं की जाती है। निदेश दिया गया कि महिला पर्यवेक्षिकाओं के द्वारा किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा अपने स्तर से परियोजना स्तर पर साप्ताहिक बैठक आयोजित कर करना सुनिश्चित करेंगी तथा उस बैठक की कार्यवाही उपलब्ध करायेंगी।

(अनुपालन :बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

19. **वार्डवार केन्द्र का संचालन :-** विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में प्रत्येक वार्ड में एक केन्द्र का संचालन किया जाना है। इसके लिए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी को निदेश दिया गया कि वे अपनी परियोजना के सभी वार्डों को चिंहित कर सूची तैयार करें कि किस-किस वार्ड में केंद्र संचालित हैं तथा किस-किस वार्ड में केन्द्र संचालित नहीं हैं। जिस बार्ड में केन्द्र संचालित नहीं है, वे किस वार्ड के केन्द्र के साथ टैग किया हुआ है।

(अनुपालन :बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

20. **मॉडल केन्द्र :-** प्रत्येक पंचायत में एक मॉडल केन्द्र का चयन किया जाना है। इसकी सूची के संबंध में पूछे जाने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि अभी सूची तैयार नहीं की गई है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब सभी पंचायतों का एक-एक मॉडल केन्द्र चयन कर उसकी सूची उपलब्ध करायेंगी।

(अनुपालन :बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर

21. **ऑगनबाड़ी सेविका का ग्रेडिंग :-** बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी के द्वारा बताया गया कि ग्रेडिंग हेतु परीक्षा आयोजित कर ली गई है। ग्रेडिंग अभी नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि

अविलम्ब तीन ग्रुप A., B., C में ग्रेडिंग कर सेविकाओं का मासिक बैठक आयोजित करें तथा ग्रुप C की सेविकाओं पर विशेष नजर रखी जाय तथा उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाय। साथ ही जो अच्छे केन्द्र हैं, उनकी सेविकाओं को दूसरे केन्द्रों के सेविकाओं को प्रशिक्षण देने के कार्य में लगाया जाय।

(अनुपालन :बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

22. **आंगनबाड़ी भवन की स्थिति :-** बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी के द्वारा बताया गया कि इस परियोजना अंतर्गत आई.ए.पी. योजना से कुल तेरह (13) ऑगनबाड़ी भवन निर्माणाधीन है। दो ऑगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु जमीन का निबंधन शुल्क माफ करने की कार्रवाई की जा रही है। सम विकास योजना के तहत एक केन्द्र निर्माणाधीनह ै। परियोजना अंतर्गत चौदह आंगनबाड़ी भवन सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, विद्यालय में चल रहा है। शेष किराये के मकान में संचालित है।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी को निदेश दिया गया कि ऑगनबाड़ी भवनों के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदिन एक सप्ताह के अंदर निम्न प्रारूप मे उपलब्ध करायें।

क्र०	पंचायत का नाम	केन्द का नाम पता सहित	संचालन					
			किराया के मकान में	सरकारी भवन में				
				सामुदायिक भवन	पंचायत भवन	विद्यालय भवन में	ऑनबाड़ी केन्द्र भवन में	अन्
1	2	3	4	5	6	7	8	9

योजना से निर्मित ऑगनबाड़ी केन्द्रों की प्रगति प्रतिवेदन

क्र0	योजना का नाम	बा0वि0परि0 कार्या0 का नाम	भौतिक प्रगति					अभ्युकि
			ऑ0 केन्द्र भवन निर्माण का लक्ष्य	निर्मित ऑगनबाड़ी केन्द्र का नाम	निर्माणाधीन ऑ0 केन्द्र का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(अनुपालन :बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

23. **मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना :-** बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी के द्वारा बताया गया कि इस योजना के तहत कुल 1986 आवेदन पत्र यू0टी0आई0 को भेजे गए हैं जिसमें 1056 बांड प्राप्त हैं, जो लाभार्थियों को वितरित किया गया है। पंचायतवार सूची बनाने का निदेश बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी को दिया गया ताकि उस पंचायत में कुल कितने आवेदन भरे गये एवं उनमें से कितने को बांड उपलब्ध कराया गया, यह जानकारी प्राप्त हो सके।

(अनुपालन :बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

24. **पोषाहार योजना :** परियोजना में वित्तीय वर्ष 2011-12 में पोषाहार मद में केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में आवंटन प्राप्त है। इस राशि को निम्न प्रकार से व्यय की जाती है।

1. प्रतिदिन स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 40 बच्चों (3-6 वर्ष) एवं तीन किशोरी बालिकाओं को मेन्यू के अनुसार पोषाहार बनाया जाता है।

2. दूसरा सूखा राशन वितरण योजना के द्वारा हर माह की 15 तारीख को 6 माह से 3 वर्ष तक के 28 कुपोषित एवं 12 अतिकुपोषित बच्चे, 8 गर्भवती एवं 8 धात्री महिलाओं के बीच सूखा राशन अंतर्गत चावल एवं दाल का वितरण एक माह हेतु किया जाता है।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर के द्वारा बताया गया कि इस माह में पोषाहार वितरण दिनांक 22.11.2011 को होना है। कोषागार जहानाबाद एवं पंजाब नेशनल बैंक, शकुराबाद के द्वारा राशि स्थानांतरण में बिलम्ब किये जाने के कारण अभी तक राशि सेविका के खाता में नहीं जाने के कारण इस माह में कई केन्द्रों पर पोषाहार वितरण नहीं किया जा सकेगा। प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, शकुराबाद एवं कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद को निदेश दिया जाता है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के बिल भुगतान में विलम्ब नहीं करें अन्यथा उचित कार्रवाई की जायेगी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जहानाबाद अपने स्तर से इस कार्य को पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन : जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जहानाबाद/ कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद/ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

25. **कार्यालय भंडार की स्थिति :-**

क्र.	समान	संख्या
1	टेबल	05
2	आलमीरा बड़ा	04
3	कुर्सी	10
4	आलमीरा छोटा	01
5	दरी बड़ा	01
6	घुमावदार कुर्सी	01
7	बेंच	01
8	सिलिंग पंखा	04
9	लैपटॉप	01
10	प्रिंटर	01
11	दिवार घड़ी	01

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी को निदेश दिया गया कि वे परियोजना में क्रय किये

4	दुलार पूर्व का	222110
5	केन्द्र आकस्मिकता	05
6	स्कूल पूर्व शिक्षा	70500
7	दूरभाष मद	6260
8	कम्प्यूटर मद	9000
9	सामान आपूर्ति	2894
10	प्रोत्साहन मद	1500
11	आपरेटर मानदेय	588
12	वर्दी मद, सेविका, सहायिका	204850
13	किराया(2007-08, 2009-10)	45200
14	पोषाक मद	10000
15	स्थायी अग्रिम	2699850
16	केन्द्र किराया 2011-12	33200
17	जीप	0
18	अमान्य पोषाहार मद	9116
19	सूचना का अधिकार	10
	कुल :	**5122967**
		(इक्कावन लाख बाईस हजार नौ सौ सरसठ)

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी को निदेश दिया गया कि जो मद आज के समय में कार्यरत नहीं है, उसे बंद करें। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि वर्दी मद की राशि को विभाग में वापस करने हेतु विभाग से निदेश प्राप्त हुआ है, निदेश दिया गया कि उसे अविलम्ब विभाग को वापस करें।

पूर्व के पोषाहार अग्रिम की विवरणी के संबंध में पूछे जाने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि यह पूर्व के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा दिया गया था तथा इनकी जानकारी उन्हें नहीं है। श्री रविन्द्र कुमार, लिपिक को निदेश दिया गया कि वे अविलम्ब इन सभी सेविकाओं का सूची तैयार कर उन्हें नोटिस निर्गत करें कि वे अपना भाउचर कार्यालय में जमा करें अन्यथा उन्हें चयनमुक्त करने की कार्रवाई की जायेगी। इस कार्य को एक सप्ताह के अंदर पूर्ण करने का निदेश बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी को दिया गया।

जिला पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि प्रत्येक माह के पहली तिथि से 10वीं तिथि के बीच में पूर्व माह के पोषाहार अग्रिम का भाउचर सभी सेविकाओं से हर हाल में प्राप्त करें तथा सभी का बील बनाकर कोषागार कार्यालय को उपलब्ध करायेंगीं। कोषागार पदाधिकारी इस बील को दो दिनों के अंदर निश्चित रूप से पास करना सुनिश्चित करेंगे ताकि प्रत्येक माह के 15वीं तारिख को होने वाले टेक होम राशन का वितरण सफलतापूर्वक किया जा सके। इस प्रक्रिया को अविलम्ब प्रारम्भ करने हेतु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अपने स्तर से कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगी। इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जहानाबाद सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेशित करें।

(अनुपालन : जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जहानाबाद/ कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद/ प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, शकुराबाद/ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

रोकड़वार विवरणी :

1. बैंक		
1.	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, जहानाबाद	541810.50
2.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नेलाहपुर	114838
2. अग्रिम		
1	पूर्व का पूरक पोषाहार अग्रिम	821404.50
2	पूरक पोषाहार अग्रिम 2010-11	834100
3	स्थायी अग्रिम पूरक पोषाहार	1415775
4	सेविका/सहायिका को वर्दी अग्रिम	93200
3. अभिश्रव		
1.	स्थायी अग्रिम से पुरक पोषाहार अभिश्रव	1284075
2.	नगद-नाजिर के पास	17764
	कुल :	
		(इक्कावन लाख बाईस हजार नौ सौ सरसठ)

28. ऑगनबाड़ी सेविकाओं के डाटाबेस तैयार करने के लिए पूर्व में ही सभी ऑगनबाड़ी सेविकाओं का केन्द्रवार नाम एवं मोबाईल नम्बर उपलब्ध कराने के निदेश के अनुपालन में सूची की मांग किये जाने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी के द्वारा बताया गया कि अभी सूची तैयार नहीं की गई है। निदेश दिया गया कि 15 दिनों के अंदर सूची तैयार कर उपलब्ध करायेंगी।

(अनुपालन :बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

29. **सामाजिक अंकेक्षण** :- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर को निदेश दिया जाता है कि टी0एच0आर0 के दि नही सामाजिक अंकेक्षण निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित करेंगी।

(अनुपालन :बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

30. **दवा** :- ऑगनबाड़ी केन्द्रों के द्वारा वितरण किये जाने वाले दवाओं के संबंध में पूछे जाने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर के द्वारा बताया गया कि दवा उपलब्ध हो गई है, शीघ्र ही सभी ऑगनबाड़ी केन्द्रों को वितरण के लिए उपलब्ध करा दी जायेगी। निदेश दिया गया कि अविलम्ब सभी केन्द्रों को दवा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

31. **निरीक्षण** :- दिनांक 19.11.2011 को रतनी फरीदपुर प्रखण्ड के सभी पंचायतों में संचालित ऑगनबाड़ी केन्द्रों की औचक जॉच जिलास्तरीय पदाधिकारियों से कराई गई, निरीक्षण के दौरान ऑगनबाड़ी केन्द्रों की निम्न स्थिति पाई गई, जिससे स्पष्ट है कि केन्द्रों का सतत् निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। आवश्यकता है कि नियमित रूप से केन्द्रों का निरीक्षण महिला पर्यवेक्षिका/ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा किया जाय एवं पाई जाने वाले कमियों को शीघ्रताशीघ्र दूर करते हुए केन्द्र का सफल संचालन करवाया जाय।

	केन्द्र का नाम	सेविका	सहायिका	केन्द्र खुला/बंद	उपस्थित बच्चों की संख्या	पोषाहार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
नोआवाँ	श्रीरामगहा, 72	√	√	√	39	√	
	सेलारपुर, 73	√	√	√	28	√	
	नोआवाँ पूर्वी मोरगंज, 74	√	X	√	35	√	
	नोआवाँ उत्तर पूर्वी, 75	√	√	√	10	√	
	नोआवाँ दक्षिणी, 76	√	√	√	29	√	
	नोआवाँ, पश्चिमी, 77	Polio	√	√	18	√	
	इब्राहिमपुर पूर्वी, 78	√	X	√	30	√	
	इब्राहिमपुर पश्चिमी, 79	√	X	√	33	√	
नेहालपुर	नेहालपुर दक्षिणी, 81	√	√	√	25	√	
	दयालीबिगहा, 82	√	√	√	40	√	बोर्ड नहीं
	हिरदनचक, 83	Polio	X	√	32	√	बोर्ड नहीं सहायिका पाँच वर्षों से नहीं
	मदुकचक, 85	√	√	√	38	√	
	सेधवाँ, 86	√	√	√	58	√	बोर्ड नहीं
	रीताबिगहा, 87	√	√	√	38	√	
पंडौल	अदरा, 28	Dead					सेविका की मृत्यु
	पतिबिगहा, 29	√	√	√		√	
	बिजलीपुर, 30	X	X	X			
	पोखवाँ, 31	X	√	√	13	X	
	तुलबिगहा, 32	√	X	√	28	√	
	कखौरा 35	√	√	√	27		
	पंडौल, 36	X		√	44	√	
रतनी	दलालचक, 19	Polio	√	√	24	X	राशि नहीं
	रतनी, 20	Polio	√	√	39	X	राशि नहीं
	खजुरबाना, 21	X	√	√	24	X	राशि नहीं
	चिकसौरा,22	√	√	√	27	√	
	महदीपुर,23	Polio	√	√	25	X	राशि नहीं
	रकसिया,24	√	√	√	21	X	राशि नहीं
	फौलादपुर, 25	Polio	√	√	28	X	राशि नहीं
	निरपुर, 26	√	√	√	27	√	
	सहबाजपुर, 27	√	X	√	35	X	राशि नहीं
सिकंदरपुर	बिमौबिगहा, 10			X			
	सावनबिगहा, 11			X			
	सिंकदरपुर, 12	Polio	√	√	25	X	
	गुलाबगंज, 14	√	√	√	19	√	
	पाईचक, 15	SERVE	√	√	23	X	
	पृजपुरा, 16	Polio	√	√	22	x	
	सरैया, 17	√	x	√	15	√	सहायिका नहीं रहती है।
	पृजपुरा, 18	√	X	√	13	X	
कनसुआ	बड़ैला हरिजन टोली, 46				बंद है		
	काजीचक, 47			X			
	चौरुचक, 48			X			
	रामसेबिगहा, 49	√	√	√	18	X	
	मिचाईचक हरिजन टोली, 50	Polio	√	√	0		
	कंसुआ दक्षिणी,51	अवकाश में	√	√	15	√	
	मिर्जापुर, 52	√	√	√	30	√	
	कुड़िला उत्तरी, 53	√	√	√	20	√	

मुरहारा	उतरापट्टी, 54	√	√	√	30		केन्द्र झोपड़ी में संचालित है।
	गोपालपुर, 57			X			
	मुरहारा पश्चिमी, 58	√	√	√	45		
	मुरहारा पूर्वी, 61	√	X	√			सहायिका नहीं आती हैं। अत्यंत जीर्णशीर्ण झोपड़ी में संचालित है
	उतरापट्टी, 54	√	√	√	30		केन्द्र झोपड़ी में संचालित है।
कसवाँ	कसवाँ मध्य, 88	√	√	√	33	√	
	कसवाँ उतरी, 89	X	√	√	30	X	
	कसवा दिक्षणी, 90	√	√	√	32	√	
	बालाबिगहा, 91	√	√	√	31	√	
	हीरामन बिगहा, 92			X			
	बदलु बिगहा, 93	√	X	√	17	√	
	सरता उतरी, 94	√	√	√	26	√	
	सरता दक्षिणी, 95	Polio	√	√	30	X	
	मिश्रौलिया, 96	X	√	√	12	√	
सेमर्वा	पंडितपुर, 62	X	√	√	35	√	
	गुनाई बिगहा, 63	√	√	√	37	√	
	सुरमनाचक, 64			X			
	नारायणपुर, 65	X	√	√	40	√	
	सेसम्बा, 66	X	√	√	38	√	
	शकुराबाद दक्षिणी, 67	√	X	√	57	√	
	शकुराबाद उतरी, 68	इन्हें हटा दिया गया है					
	कुरहारी, 69	√	√	√	35	√	
	बढ़ौना, 70	√	√	√			
उचिटा	सुल्तानपुर, 37	X	√	√	30	X	
	धर्मपुर, 38	√	√	√	27	√	
	गगनकुरा पासी टोली, 39	X	√	√	17	√	
	उचिटा बिंद टोली, 40	X	√	√	36	X	
	उचिटा मुसहरी टोली, 41	√	√	√	30	√	
	गगनकुरा बिंद टोली, 42	X	√	√	25	√	
	फरीदपुर रविदास टोली, 43	X	√	√	36	√	
	फरीदपुर पासवान टोली, 44	√	√	√	41	√	
	हसनपुर, 45	√	X	√	20	√	
झुनाठी	नन्दपुरा, 107	√	√	√	35	√	
	बल्लोपुर, 108	Polio	√	√	35	√	
	झुनाठी पश्चिमी, 109	√	√	√	22	√	
	झुनाठी पूर्वी, 110	√	√	√	07	X	
	झुनाठी, खुर्द, 111	√	√	√		X	
	किंदुई, 114	X	√	√	35	X	
	जहाँगीरपुर, 113	X	√	√	30	√	
	मठिया, 112	√	√	√	32	√	
लाखापुर	भताडिहरी उत्तरी, 97	X	X				02.00 बजे बंद पाया गया
	भताडिहरी पश्चिमी, 98	X	X				02.05 बजे बंद पाया गया
	भताडिहरी दक्षिणी, 99	√	√		22	राशि नहीं	01.45 बजे बंद पाया गया
	ओयना, 101	X	√	√	09	√	
	धवापर, 102	√	X	√	21	√	
	लाखापुर उतरी, 103	X	√	√	20	राशि नहीं	
	लाखापुर दक्षिणी, 104	X	√	√	12	राशि नहीं	

निरीक्षण के उपरांत यह स्पष्ट है कि अभी भी केन्द्रों का संचालन सफलतापूर्वक नहीं किया जा रहा है। निरीक्षण में मुख्य बिन्दु सामने आये :-

1. कई केन्द्र बंद पाये गये। : - सभी केन्द्रों को नियमित रूप से संचालन के लिए कार्रवाई करें।
2. कई केन्द्रों पर सेविका नहीं थी तो कई केन्द्रों पर सहायिका अनुपस्थित पाई गई : अनुपस्थित सेविका एवं सहायिका से स्पष्टीकरण की मांग करें।
3. शत-प्रतिशत बच्चे उपस्थित नहीं है :- उपस्थित बच्चों के अनुपात में पोषाहार की राशि की कटौती करने की कार्रवाई करें।
4. पोषाहार राशि के अभाव में बंद हैं :- अविलम्ब सभी केन्द्रों को पोषाहार की राशि उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की जाय।

उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रों का संचालन संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है तथा इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है।

अत: उपरोक्त सूची के आलोक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी को निदेश दिया गया कि स्वयं एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं के द्वारा नियमित रूप से केन्द्र का निरीक्षण कर केन्द्रों का नियमित रूप से संचालन करवाना सुनिश्चित करेंगी। प्रत्येक केन्द्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है :-

1. केन्द्र का बोर्ड निश्चित रूप से केन्द्र के बाहर होनी चाहिए।
2. केन्द्र में शत-प्रतिशत बच्चों की उपस्थिति हो।
3. ग्रोथ चार्ट निश्चित रूप से संधारित हो।
4. पोषाहार गुणवत्तायुक्त मिनु के अनुसार उपलब्ध कराया जाय।
5. मिनु केन्द्र के दिवार में साफ-साफ अक्षरों में अंकित होना चाहिए।
6. केन्द्र में गंदगी नहीं होनी चाहिए।
7. बच्चे पोशाक में दिखनी चाहिए।
8. पोषाहार वितरण निर्धारित तिथि को शत-प्रतिशत होनी चाहिए।
9. छह साल से कम आयु के बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति और पोषण को बेहतर बनाना।
10. बच्चे के उचित, शारीरिक मानसिक और सामाजिक विकास के लिए बुनियाद रखना।
11. मृत्यु, रूग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना।
12. बच्चे के विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच में नीति और कार्यान्वयन का

5. पोषण

- पूरक आहार
- विकास की निगरानी और प्रोत्साहन
- पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा

(अनुपालन :बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर/ सभी महिला पर्यवेक्षिका)

जिलाधिकारी, जहानाबाद।

ज्ञापांक 9465 /गो0, जहानाबाद दिनांक 23 वीं नवम्बर, 2011

प्रतिलिपि : जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जहानाबाद/ कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद/ प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, शकुराबाद/ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर/ सभी महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना कार्यालय, रतनी एवं अन्य सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी, जहानाबाद।

ज्ञापांक 9465 /गो0, जहानाबाद दिनांक 23 वीं नवम्बर, 2011

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : निदेशक, आई.सी.डी.एस., बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी, जहानाबाद।